# न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
## निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या **63/2015** अपील (राजस्व)

श्रीमती कमलाबाई बेवा भॅवरलाल भोई निवासी 226, खांरा कुॅआ, उदयपुर (राज.)

**—— अपीलान्ट**

**बनाम**

1. श्री छोगालाल पिता भॅवरलाल भोई, निवासी 226 खांरा कुॅआ, उदयपुर (राज.)
2. श्री जवाहरलाल पिता भॅवरलाल भोई, निवासी 226 खांरा कुॅआ, उदयपुर (राज.)
3. श्री प्रभुलाल पिता भॅवरलाल भोई, निवासी 226 खांरा कुॅआ, उदयपुर (राज.)
4. तहसीलदार गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)

**—— रेस्पोडेन्टगण**

**अपील बनाराजगी आदेश तहसीलदार गिर्वा उदयपुर नामान्तरकरण संख्या 2041 दिनांक 14.08.2000**

**उपस्थित :** 1. श्री सुनील शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री सम्पतलाल बोहरा, रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3

# निर्णय

**दिनांकः—31.10.2017**

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा आयड़ में आराजी संख्या 1526, 1531, 1533 से 1538, 1544, 1546 किता 10 रकबा 1.2900 हैक्टर एवं आराजी संख्या 1545, 1547, 1543 किता 3 रकबा 0.3600 हैक्टर भूमि अपीलान्ट के पति स्व. श्री भॅवरलाल जी की खातेदारी एवं कब्जे कि स्थित थी। स्वर्गीय भॅवरलाल जी का दिनांक 08.07.2000 को स्वर्गवास हो गया। उनके वारीसान में अपीलान्ट पत्नि हैं तथा 3 पुत्र रेस्पोडेंट छोगालाल, जवाहरलाल व प्रभुलाल हैं। स्वर्गीय भॅवरलाल जी की दुसरी पत्नि लक्ष्मीबाई जिसका स्वर्गवास करीब दो वर्ष पुर्व हो चुका हैं। उक्त भुमि भॅवरलाल जी को विरासत में मिली। आराजी नम्बर 1543, 1545, 1547 में उनका हक हिस्सा तय था। स्वर्गीय भॅवरलाल जी के मकानात भी इसी भुमि पर बने हुए हैं एवं अपीलान्ट का मकान अलग बना

होकर उसमें रहती हैं जिसके आराजी संख्या 1546 हैं। अपीलान्ट के कब्जे में आराजी नम्बर 1526 रकबा 0.3900 हैक्टर जो पूर्वज वाला खेत के नाम से जाना जाता है कब्जे में हैं। जिस पर अपीलान्ट ही कृषि करती हैं। स्वर्गीय भॅवरलाल जी द्वारा अपने जीवनकाल में कभी भी कोई लिखतम किसी को लिखकर नहीं दी। वैसे भी लिखतम करने का कोई अधिकार नहीं था। उक्त वर्णित सम्पत्ति में अपीलान्ट का 1/4 हिस्सा हैं। क्योंकि लक्ष्मीबाई का स्वर्गवास हो जाने के बाद अपीलान्ट का 1/4 हिस्सा हो गया हैं। छोगालाल जवाहरलाल प्रभुलाल जो कि लक्ष्मीबाई के जायन्दा पुत्र हैं। अपीलान्ट के सौतेले पुत्र होकर इनकी अपीलान्ट सौतेली माता हैं। अपीलान्ट ने हमेशा छोगालाल जवाहरलाल व प्रभुलाल को पुत्र की तरह मानकर बड़े किये हैं। इनके प्रति कभी अपीलान्ट ने कोई द्वेष भावना नहीं रखी। परन्तु इनके दिल में शुरू से ही अपीलान्ट के प्रति द्वेषता थी। क्योंकि अपीलान्ट इनकी सौतेली माता हैं। अपीलान्ट ने इनको हमेशा पुत्रो के सिवाय अलग नहीं समझा। पुत्रवत स्नेह दिया। छोगालाल जवाहरलाल प्रभुलाल तीनो ही मिलकर भॅवरलाल जी से धोखे में रख फर्जी लिखापड़ी कर जमीन अपने नाम करा दी जिसकी जानकारी अपीलान्ट को अभी एक महिने पहले ही हुई हैं। जब पटवारी ने बताया कि भॅवरलाल जी की कुलिया जमीन छोगालाल प्रभुलाल जवाहरलाल के नाम जरिये वसीयत से दर्ज हो गई हैं। इससे पुर्व अपीलान्ट को जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट ने तीनो पुत्रो को पुछा तो तीनो पुत्रो ने कहा कि जमीन तो हमने अपने नाम करा दी है अब जमीन बेच भी देंगे मकान व जमीन से तुझे हटा भी देंगे। तब अपीलान्ट ने तहसील से उक्त जमीन की नकले प्राप्त की तो अपीलान्ट को पूर्ण जानकारी हुई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में अपीलान्ट को बिना सुने बिना मौका देखे वसीयत की पूर्ण जॉच किये बिना जो नामान्तरकरण पारित कर दिया गया है जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत निर्णय पारित कर कानुनी भुल की हैं। जो निरस्त योग्य हैं। अतः नामान्तरकरण 2041 निर्णित दिनांक 14.08.2000 को निरस्त फरमाया जाकर वर्णित आराजी भूमि का 1/4 हिस्सा प्रत्येक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 का दर्ज कराया जावें।

अपनी अपील मेमो के साथ मे एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 जा.दी. का भी प्रस्तुत किया गया हैं जो शामिल पत्रावली हैं। धारा 5 के मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि अपीलीय नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 22.08.15 को प्रथम बार हुई जिसकी दिनांक 15.09.15 को नकल प्राप्त कर अविलम्ब यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। दिनांक 14.08.2000 से लेकर दिनांक 27.09.15 तक का समय कण्डोन कर अपील मियाद में शुमार फरमायी जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंटगण की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व धारा 96 जा.दी. का जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया हैं। अपने जवाब में निवेदन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

प्रश्नगत नामान्तरकरण बिल्कुल सही व नियमानुसार स्वीकृत किया गया हैं। जानबुझकर कथित आदेश के विरूद्ध 15 वर्ष पश्चात् यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। जो मियाद के बिन्दु पर ही निरस्त की जावें। नामान्तरकरण की अपील मियाद 30 दिन हैं। नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 14.08.2000 को ही हो गई थी। उसे बता दिया गया कि रेस्पोडेंटगण ने उक्त जमीन का नामान्तरकरण करवा लिया हैं। नकल को पढकर भी सुनाया गया। अपीलान्ट को सारी जानकारी अच्छी तरह से थी क्योंकि वह उसी समय नामान्तरकरण की एक नकल लेकर अपने पीयर भी बताने गयी थी। अपीलान्ट ने 15 वर्ष बाद दुबारा नकल निकलवायी तथा इस आदेश के विरूद्ध जानबुझकर आप न्यायालय में गलत अपील पेश की हैं। ऐसे मामले में मियाद कण्डोन नहीं की जा सकती हैं। यह अपील मियाद के बिन्दु पर ही निरस्त फरमायी जाना न्याय हीत में आवश्यक हैं। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को कथित अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं था। क्योंकि अपीलान्ट भॅवरलाल जी की औरत नहीं हैं। भॅवरलाल जी द्वारा सोच समझ कर वसीयत की गई हैं। अपीलान्ट को सन् 1956 में अपने पास रखा जबकि शादीशुदा औरत से ही रेस्पोडेंटगण तीनो पैदा हुए। वादग्रस्त सम्पत्ति भॅवरलाल जी की स्वअर्जित सम्पत्ति होकर उन्हें रहन बैह बक्षीस या वसीयत करने का पुरा अधिकार था। अपीलान्ट कानुनी रूप से बाबुलाल जी की बेवा नहीं हैं। नाही हितबद्ध व्यक्ति हैं। प्रश्नगत भुमि में इंच मात्र का कब्जा भी अपीलान्ट का नहीं हैं। कथित वसीयत को धोखे से निष्पादित करना कहा जा रहा है तो इसे सक्षम न्यायालय में दावा पेश कर निरस्त कराया जाना आवश्यक हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से अपील पेश करने की स्वीकृती नहीं दी जा सकती हैं।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलीय नामान्तरकरण विरासत के आधार पर नहीं खोला जाकर वसीयत के आधार पर खोला गया हैं। जो कानुन सम्मत नहीं हैं। जब किसी मृतक की विरासत को लेकर प्राकृतिक वारीसान व वसीयत वारीसान के मध्य विवाद हो तो वसीयत वारीस के लिये एकमात्र विकल्प वसीयत को सक्षम न्यायालय में साबित करके अपनेआप को एकल वारीस घोषित कराना होता हैं। प्रश्नगत प्रकरण में स्वर्गीय भॅवरलाल जी के प्रथम श्रेणी के वैध उत्तराधिकारी रेस्पोडेंटगण उनके तीन पुत्र उनकी पत्नि लक्ष्मीबाई जो पहली पत्नि थी और दुसरी पत्नि अपीलान्ट स्वयं हैं। पहली पत्नि लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में लक्ष्मीबाई के स्थान पर अपीलान्ट स्वयं 1/4 की उत्तराधिकारी हैं। मौके पर प्रश्नगत भुमि में 1/4 हिस्से पर अपीलान्ट काबिज भी हैं। कुलिया भुमि वसीयत से रेस्पोडेंटगण के नाम पर दर्ज हो चुकी हैं। जबकि यह भुमि स्वर्गीय भॅवरलाल जी को विरासत से ही प्राप्त हुई। विरासत से प्राप्त होने वाली सम्पत्ति में उसके प्रथम श्रेणी के उसके सभी उत्तराधिकारी भी कानुनन अधिकारीता रखते हैं। जबकि

स्वर्गीय भॅवरलाल जी द्वारा अपने जीवनकाल में किसी भी प्रकार की वसीयत नहीं की। उनको धोखे में रखकर रेस्पोडेंटगण द्वारा वसीयत करवा दी गई। जो संदेहास्पद परिस्थितियों से युक्त हैं। कानुनन वसीयत द्वारा जब प्राकृतिक वारीसानो को विरासत से वंचित करके वसीयती वारीस बनाया जाता है और ऐसी वसीयत को प्राकृतिक वारीसान द्वारा कुटरचित बताकर चुनौति दी जाती है तो वसीयत के लाभार्थी पर उक्त वसीयत को सत्य एवं संदेह से परे साबित करने का भार होता हैं। हस्तगत प्रकरण में वसीयत द्वारा पत्नि को विरासत से वंचित किया गया हैं और ऐसे वंचित प्राकृतिक वारीसान से वसीयत को कुटरचित बताकर अस्वीकार किया हैं। जिससे वसीयत स्वयं ही संदेह के घेरे में आ जाती हैं। जिसे संदेह से परे साबित करने का दायित्व रेस्पोडेंटगण का हैं। वसीयत में वसीयतकर्ता स्वर्गीय भॅवरलाल जी द्वारा भी वसीयत में दो पत्नियो का होना बताया गया हैं एवं एक लड़की का भी होना बताया गया हैं। ऐसी स्थिति में वसीयत के द्वारा वैध वारीसानो को विरासत की सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता हैं। जहॉ मियाद का प्रश्न है वहॉ पर निवेदन है कि स्वर्गीय भॅवरलाल जी स्वयं अपने द्वारा निष्पादित वसीयत में 3 पुत्र दो पत्नियॉ एवं एक पुत्री होना बताया गया हैं। जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विरासत की जॉच किये वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण पारित कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक करने से पहले उन्हे कोई सुचना नहीं दी गई थी। उत्तराधिकारी को बिना सुने पारित किया गया ऐसा आदेश शुन्य हैं। ऐसा आदेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकता हैं। ऐसे प्रकरणो में मियाद का प्रश्न आड़े नहीं आता हैं और कानुनन मियाद जानकारी की तारीख से शुरू होती हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण का निस्तारण मेरीट पर किया जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित कराना फरमावें। अपनी बहस की ताईद में आर बी जे (21) 2014 पेज 19, आर बी जे (21) 2014 पेज 86 की नजीरे प्रस्तुत की गई।

उपस्थित अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपने तर्क में निवेदन किया कि अपीलीय नामान्तरकरण एक वैध दस्तावेज रजिस्टर्ड वसीयतनामे के आधार पर खोला गया हैं। जब तक रजिस्टर्ड वसीयत फर्जी एवं मिथ्या साबित ना हो नामान्तरकरण खारीज नहीं हो सकता हैं। चुंकी विवादीत भुमि का मुल खातेदार स्वर्गीय भॅवरलाल पिता जेतराम भोई था। उसने अपने जीवनकाल में दिनांक 17.12.98 को उनके प्रथम श्रेणी के तीनो पुत्रो के नाम भुमि की वसीयत कर दी गई। उनकी मृत्यु के पश्चात् रजिस्टर्ड वसीयतनामे के आधार प्रश्नगत नामान्तरकरण खोला गया है वह प्रथम दृष्ट्या विधिविरूद्ध नहीं माना जा सकता है क्योंकि आज दिनांक तक विवादीत भुमि पर कब्जा रेस्पोडेंटगणों का ही हैं। यदि वसीयतनामे के संबंध में अपीलार्थी उसे विवादास्पद कहते है तो इस संबंध में वे सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है जहॉ से पक्षकारान के वादग्रस्त आराजी के संबंध में अधिकार निर्णित किये जा सकेंगे। अपीलार्थी द्वारा जानबुझकर 15 वर्षो बाद यह अपील प्रस्तुत की

गई हैं। जबकि अपील प्रस्तुत करने कि मियाद 30 दिन हैं। इतने विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने का कोई ठोस कारण भी नहीं बताया गया है जबकि अपीलीय नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट को 14.08.2000 से ही थी। जिसकी एक प्रति अपने पीयर पक्ष को भी बताई गई थी। 15 वर्षो बाद दुसरी नकल निकलवाकर यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। साथही निवेदन किया गया है कि अपीलार्थीया स्वर्गीय भॅवरलाल जी की औरत नहीं होकर भॅवरलाल जी द्वारा सिर्फ उसे रखा गया था। सिर्फ रखने से औरत नहीं हो जाती हैं। कथित जायदाद स्वर्गीय भॅवरलाल जी द्वारा स्वअर्जित थी। जिसका उन्हें रहन बैह बक्षीस या वसीयत करने का पुरा अधिकार था। अपीलान्ट का कथित जमीन से कोई संबंध नहीं हैं। नाही अपीलान्ट हितबद्ध व्यक्ति हैं। अपीलान्ट प्रकरण में हितबद्ध पक्षकारान नहीं होने से उसे अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं हैं। अतः अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर व धारा 96 के बिन्दु पर ही खारीज फरमायी जावें। अपनी बहस की ताईद में राज टी एक्ट एसईसी पेज 39, आर आर टी 2001 पेज 990, आर आर टी 2002 पेज 786, आर आर डी 1984 पेज 391, आर आर डी 1992 पेज 360, आर बी जे 2006 पेज 133, एआईआर 2005 एस सी 233 की नजीरे प्रस्तुत की गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तु दस्तावेजो को ससम्मान अवलोकन किया गया। बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अध्ययन के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अपीलीय नामान्तरकरण रजिस्टर्ड वसीयतनामे के आधार पर खोला गया हैं। स्वर्गीय भॅवरलाल जी पिता जेतराम भोई द्वारा अपने पुत्रो के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामे के आधार पर खोला गया हैं। विवादीत भूमि का रेकार्डेड खातेदार भॅवरलाल भोई था। उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके द्वारा सम्पादित रजिस्टर्ड वसीयतनामे के आधार पर अपीलीय नामान्तरकरण संख्या 2041 दिनांक 14.08.2000 से रेस्पोडेंट संख्या 1, 2, 3, 4 क्रमशः छोगालाल जवाहरलाल प्रभुलाल पिता भॅवरलाल भोई के नाम पर खोला गया हैं। वह प्रथम दृष्ट्या विधिविरूद्ध नहीं माना जा सकता हैं। इस वादग्रस्त भुमि पर कब्जा भी इन्ही का हैं। रजिस्टर्ड वसीयतनामे को फर्जी बनावटी व बेअसर नहीं माना जा सकता हैं। यदि अपीलार्थी द्वारा वसीयतनामे के संबंध में उसे विवादास्पद कहते है तो इस संबंध में वे सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं। नामान्तरकरण संबंधी समरी कार्यवाही (फिस्कल प्रोसिडिंग) है जिसमें किसी के अधिकार तय नहीं किये जा सकते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज की जाती हैं।

पत्रावली फैसल शुमार हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
**जिला कलक्टर**
**उदयपुर**